छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 7–5/राजस्व/सात–3/2005 रायपुर, दिनांक /01/2012

प्रति,

कलेक्टर्स,
जिला ..... (छत्तीसगढ़)

विषयः– औद्योगिक निवेश के लिये उद्योग विभाग तथा सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अर्जन उपरांत भूमि आबंटन हेतु सेवा शुल्क के संबंध में औद्योगिक नीति वर्ष 2004–2009 में कालावधि वर्ष 2009–2014 किये जाने बाबत् ।

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 7–5/राजस्व/सात–3/2009, दिनांक 08.04.2005

–000–

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। औद्योगिक नीति वर्ष 2004–2009 हेतु भू–अर्जन पर सेवा शुल्क 5% निर्धारित किया गया था। औद्योगिक नीति वर्ष 2009–2014 के अन्तर्गत निजी भूमि के अर्जन पर सेवा शुल्क पूर्ववत् 5% ही लिया जायेगा ।

हस्ताक्षरित
(पी.निहालानी)
उप सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7–5/राजस्व/सात–3/2005 रायपुर, दिनांक 7/1/2012

प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय को उनके पत्र क्रमांक–1174/3293/2009/11/6, दिनांक 13.04.2011 के संदर्भ में सूचना प्रेषित।
(2) उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर ।
(3) प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ताक्षरित
उप सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 7–71/सात–3/2010 रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– भू–अर्जन अधिनियम के तहत् अवार्ड राशि पर सेवा शुल्क (सविल चार्ज) की राशि 5ः (पांच प्रतिशत) जमा करने के संबंध में ।

–000–

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र का अवलोकन करें । औद्योगिक निवेश के लिये उद्योग विभाग तथा सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के अर्जन हेतु अवार्ड राशि के 10% (दस प्रतिशत) सेवा शुल्क के स्थान पर 5%(पांच प्रतिशत) सेवा शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है । उक्त संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 7–5/राजस्व/सात–3/2005 दिनांक 08.04.2005 की प्रति संलग्न कर आदेशानुसार निवेदन है कि तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

हस्ताक्षरित
(पी.निहालानी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7–5/रा0/सात–3/2005 रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– औद्योगिक निवेश के लिये उद्योग विभाग तथा सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अर्जन उपरांत भूमि आबंटन हेतु सेवा शुल्क ।

औद्योगिक नीति 2004–09 के परिशिष्ट–4 बिन्दु क्रमांक–10(क) के तहत् औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के स्थान पर 5 प्रतिशत सेवा शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रकाश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा लिया गया है ।

2/ प्रकरण में वित्त विभाग ने अपनी टीप दिनांक 17.03.2005 द्वारा औद्योगिक नीति के अंतर्गत 2004–09 के प्रावधानों के तहत् औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के स्थान पर 5 प्रतिशत दर से सेवा शुल्क लिये जाने की सहमति दी गई है ।

3/ अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2004–09 के तहत् औद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को अवार्ड राशि के 5 प्रतिशत दर से सेवा शुल्क लिये जाने की अनुमति प्रदान करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षरित
(ओमेगा टोप्पो)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

2.....

पृ. क्रमांक एफ 7–5/रा0/सात–3/2005 रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2005

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय को उनके ज्ञाप क्रमांक–191/2583/04/11/6, दिनांक 25.01.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
(2) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके यू.ओ. क्रमांक 511, दिनांक 17.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
(3) उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, रायपुर
(4) प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी., रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ताक्षरित
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग